भारत सरकार
विदेश मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या–1940
दिनांक 02.08.2024 को उत्तर दिए जाने के लिए

रूस के साथ समझौते

1940. श्री सुधीर गुप्ताः
श्री धैर्यशील संभाजीराव माणेः
श्री वसंतराव बलवंतराव चव्हाणः

क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या प्रधानमंत्री ने हाल ही में रूस का दौरा किया है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) उक्त यात्रा के दौरान रूस के साथ हुई चर्चाओं और हस्ताक्षरित समझौतों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का रूस में दो नए वाणिज्य दूतावास खोलने का प्रस्ताव है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार ने यूक्रेन के खिलाफ लड़ने के लिए रूसी सेना में जबरन भर्ती किए गए भारतीयों के स्वदेश वापसी का मुद्दा उठाया है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में रूसी सरकार की प्रतिक्रिया क्या है;

(ङ) क्या सरकार ने रूस के साथ नई वायु रक्षा प्रणाली, सुखोई 30 एमकेआई की खरीद और केए–226 हेलीकॉप्टरों के लाइसेंस प्राप्त उत्पादन के लिए कोई समझौता किया है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) व्यापार और वाणिज्य के क्षेत्र में हस्ताक्षरित अन्य समझौतों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

विदेश राज्य मंत्री
(श्री कीर्ति वर्धन सिंह)

(क) और (ख) प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी 22 वें भारत–रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए 08–09 जुलाई, 2024 को रूस की यात्रा पर रहे। दोनों नेताओं ने राजनीतिक, व्यापार, निवेश, ऊर्जा, कनेक्टिविटी, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, रक्षा और सुरक्षा क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग तथा पारस्परिक हित के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर चर्चा की जिनमें संयुक्त राष्ट्र और बहुपक्षीय समूहों, जैसे जी20, ब्रिक्स, एससीओ आदि में भागीदारी शामिल है।
22 वें भारत–रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन के संयुक्त वक्तव्य तथा 2030 तक की अवधि के लिए भारत–रूस आर्थिक सहयोग से संबंधित रणनीतिक क्षेत्रों के विकास के संबंध में नेताओं के संयुक्त वक्तव्य के अलावा, प्रधानमंत्री की यात्रा के संबंध में नौ अन्य समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। इन समझौतों की सूची अनुबंध–I में संलग्न है।

(ग) जी हाँ। भारत सरकार ने रूस के येकेतरिनबर्ग और कज़ान शहरों में भारत के दो और महाकोंसलावास स्थापित करने का निर्णय लिया है।

(घ) सरकार ने रूसी सशस्त्र बलों में भर्ती भारतीय नागरिकों की शीघ्र रिहाई संबंधी मुद्दे को विभिन्न स्तरों पर रूसी संघ के संबंधित प्राधिकारियों के समक्ष ज़ोरदार तरीके से उठाया है। जुलाई 2024 में रूस की अपनी हालिया यात्रा के दौरान, प्रधान मंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने रूसी सशस्त्र बलों से सभी भारतीय नागरिकों की शीघ्र रिहाई की तत्काल आवश्यकता पर ज़ोर दिया। रूसी पक्ष की प्रतिक्रिया सकारात्मक रही है।

(ङ) जुलाई 2024 में प्रधानमंत्री की रूस यात्रा के दौरान भारत और रूस ने रक्षा प्रणालियों के संबंध में कोई समझौता नहीं किया।

(च) जुलाई 2024 में प्रधानमंत्री की रूस यात्रा के संबंध में संपन्न पांच समझौते व्यापार और वाणिज्य से संबंधित हैं। उनका विवरण अनुबंध–I में दी गई सूची में है।

*****

अनुबंध–I

संपन्न समझौतों की सूची: प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की रूस की आधिकारिक यात्रा (08–09 जुलाई 2024)

क्र. सं.	समझौता ज्ञापन/करार/कार्यक्रम का नाम	उद्देश्य
1.	2024 से 2029 तक की अवधि के लिए रूसी सुदूर पूर्व में व्यापार, आर्थिक और निवेश क्षेत्रों में भारत–रूस सहयोग संबंधी कार्यक्रम तथा रूसी संघ के आर्कटिक क्षेत्र में सहयोग संबंधी सिद्धांत	रूस के सुदूर पूर्व क्षेत्र और भारत के बीच व्यापार एवं संयुक्त निवेश परियोजनाओं में और वृद्धि की सुविधा प्रदान करना।
2.	जलवायु परिवर्तन और लो–कार्बन विकास संबंधी मुद्दों पर भारत गणराज्य के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय तथा रूसी संघ के आर्थिक विकास मंत्रालय के बीच समझौता ज्ञापन	जलवायु परिवर्तन और लो–कार्बन विकास संबंधी मुद्दों पर संयुक्त कार्य समूह की स्थापना। कम लागत वाली प्रौद्योगिकियों के विकास हेतु सूचना/सर्वोत्तम प्रथाओं का आदान–प्रदान तथा अनुसंधान का सह–आयोजन।
3.	भारतीय सर्वेक्षण विभाग तथा राज्य पंजीकरण, कैडस्ट्रे और कार्टोग्राफी हेतु संघीय सेवा, रूसी संघ के बीच समझौता ज्ञापन	भूगणित, मानचित्रकला और स्थानिक डाटा अवसंरचना के संबंध में ज्ञान और अनुभव का आदान–प्रदान; व्यावसायिक प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण; वैज्ञानिक और शैक्षिक संस्थानों के बीच सहयोग।
4.	ध्रुवीय क्षेत्रों में अनुसंधान और संभार तंत्र में सहयोग के संबंध में राष्ट्रीय ध्रुवीय एवं महासागर अनुसंधान केंद्र, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय, भारत सरकार तथा आर्कटिक एवं अंटार्कटिक अनुसंधान संस्थान के बीच समझौता ज्ञापन	संसाधनों और आंकड़ों को साझा करके ध्रुवीय वातावरण और उनकी परिवर्तनशीलता के अध्ययन में सहयोग; ध्रुवीय क्षेत्रों में संभार तंत्र; संयुक्त अनुसंधान; कार्मिकों का आदान–प्रदान; तथा ध्रुवीय क्षेत्र में अंतरराष्ट्रीय कार्यक्रमों और परियोजनाओं में भागीदारी।
5.	प्रसार भारती, भारत तथा एएनओ "टीवी–नोवोस्ती" (रशिया टुडे टीवी चैनल), रूस के बीच प्रसारण संबंधी सहयोग और सहभागिता पर समझौता ज्ञापन	प्रसारण के क्षेत्र में सहयोग, जिसमें कार्यक्रमों, कार्मिकों का आदान–प्रदान और प्रशिक्षण शामिल है।
6.	भारतीय फार्माकोपिया आयोग, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत गणराज्य सरकार तथा रूसी संघ के स्वास्थ्य मंत्रालय के संघीय राज्य बजटीय संस्थान "औषधीय उत्पादों के विशेषज्ञतापूर्ण मूल्यांकन हेतु वैज्ञानिक केंद्र" के बीच समझौता ज्ञापन	सूचना के आदान–प्रदान और क्षमता निर्माण के माध्यम से मानव उपयोग हेतु उच्च गुणवत्ता वाली दवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करना।
7.	भारतीय अंतरराष्ट्रीय मध्यस्थता केंद्र तथा रूसी संघ के चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री में अंतरराष्ट्रीय वाणिज्यिक मध्यस्थता न्यायालय के बीच सहयोग करार	वाणिज्यिक प्रकृति के सिविल कानूनी विवादों के निपटान में सुविधा प्रदान करना।

8.	इन्वेस्ट इंडिया और जेएससी "रूसी प्रत्यक्ष निवेश कोष प्रबंधन कंपनी" के बीच संयुक्त निवेश संवर्धन रूपरेखा करार	निवेश सहयोग के संवर्धन एवं प्रोत्साहन द्वारा भारतीय बाज़ार में रूसी कंपनियों के निवेश को सुविधाजनक बनाना।
9.	भारतीय व्यापार संवर्धन परिषद तथा अखिल रूसी सार्वजनिक संगठन "बिज़नेस रशिया" के बीच समझौता ज्ञापन	द्विपक्षीय व्यापार और निवेश को बढ़ावा देना, बी2 बी बैठकों का आयोजन करना; व्यापार संवर्धन कार्यक्रम आयोजित करना तथा व्यापार प्रतिनिधिमंडलों का आदान–प्रदान करना।

*****